मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/आरटीई/2011/5748 भोपाल, दिनांक 1.8.11

प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत, म0प्र0

विषयः–शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत शिकायतों के निराकरण के संबध में।

संविधान में अनुच्छेद 21(क) के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के तहत लाया गया है। इस अधिकार के कियान्वयन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बनाया गया है। इस अधिनियम को संक्षिप्त में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहा जाता है।

2 अधिनियम की धारा 32 में बच्चों के अधिकार से जुड़ी शिकायतों का निराकरण स्थानीय प्राधिकरण (स्थानीय निकाय) द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस संबध में प्रावधान निम्नानुसार है।

(i) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगी।

(ii) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, संबधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

(iii) स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को अपील कर सकेगा।

(iv) उपधारा 3 के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जाएगा।

3 उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह आवश्यक है कि आपके स्तर पर बच्चों के अधिकार से जुड़ी शिकायतों के निराकरण की समुचित व्यवस्था हो। अतः इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल की जायेः–

(i) आपके कार्यालय में शिक्षा का अधिकार–शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाये।

(ii) इस प्रकोष्ठ के लिए एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाये। नियुक्ति आदेश लिखित में जारी किया जाये।

(iii) कार्यालय में एक शिकायत पंजी संधारित की जाये।

(iv) आपके कार्यालय में इस प्रकोष्ठ के गठन की सूचना समाचार के रूप मे स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित की जावें।

4 आपके क्षेत्र के किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों से जुड़े बच्चे के किसी अधिकार के संबध में शिकायत प्राप्त होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

(i) शिकायत दो प्रतियों में प्राप्त की जाये।
(ii) सर्वप्रथम शिकायत को पंजी में दर्ज किया जाये।
(iii) शिकायत कर्ता को शिकायत प्राप्त होने की अभिस्वीकृति दी जाये।अभिस्वीकृति में शिकायत प्राप्त होने की तिथि अंकित की जाये।
(iv) शिकायत जिस व्यक्ति/संस्था के विरूद्व है,उसे शिकायत की प्रति भेजते हुये शिकायत के संबध में उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिये कहा जाये। यह कार्य शिकायत प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर अनिवार्य रूप से संपादित किया जाये। पत्र संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार भेजा जाये।
(v) यदि संबधित व्यक्ति/संस्था से 15 दिन के अंदर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसे स्मरण पत्र भेजा जाये। स्मरण पत्र में 15 दिन का समय दिया जाये।
(vi) यदि संबधित व्यक्ति/संस्था से स्मरण पत्र के बाद भी उत्तर प्राप्त नहीं होता तो उन्हे पुनः15 दिन का समय देते हुये पुनः यह स्पष्ट किया जाये कि यदि निर्धारित तिथि तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो शिकायत कर्ता की शिकायत को सही मानते हुये अधिनियम के प्रावधानो के तहत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
(vii) संबधित व्यक्ति/संस्था से उत्तर प्राप्त होने पर अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष में उसका निराकरण किया जाये। आवश्यक होने पर प्रकरण के संबध में जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये।
(viii) संबधित व्यक्ति या संस्था यदि स्वंय उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहती है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाये।
(ix) शिकायत और संबधि संस्था/व्यक्ति से प्राप्त उत्तर तथा अन्य आवश्यक साक्षों के आधार पर प्रकारण के लिये निकाय के समक्ष सुझाव प्रस्तुत किया गया। निकाय के निर्णय अनुसार शिकायत का निराकरण किया जाये यदि शिकायत पर कोई कार्यवाही की जानी है तो संबधित अधिकारी को निर्णय से अवगत कराया जाये।शिकायत का निराकरण परिशिष्ट– 2 अनुसार किया जाये।
(x) शिकायत निराकरण की सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाये।

5 आपको ज्ञात ही है कि आपके द्वारा शिकायत के निराकरण से यदि कोई शिकायतकर्त्ता असंतुष्ट है तो वह आपके निर्णय के विरूद्व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील कर सकेगा। अतः शिकायतों का निराकरण करते समय उपरोक्त बिंदुओं का ध्यान रखा जाये।
संलग्नः उपरोक्तानुसार

प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल म0प्र0

पृ.क्रमांक/आरटीई/2011/5749 भोपाल, दिनांक 1.8.11

प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म0प्र0
2 आयुक्त, पंचायत, म0प्र0
3 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल म0प्र0
4 आयुक्त, लोक शिक्षक भोपाल म0प्र0
5 समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
6 समस्त कलेक्टर, म0प्र0
7 समस्त संभागीय सयुंक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0
8 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म0प्र0
9 समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र

प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल म0प्र0

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिला पंचायत
जिला———म.प्र.

कमांक / ———

स्थान का नाम———

दिनांक ————

प्रति,

————————

————————

विषयः–शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 32 के तहत प्राप्त शिकायत के संबंध में।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) की धारा 32 के अन्तर्गत बच्चों के अधिकारों से जुड़ी शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौपी गई है।

2. आपसे/आपकी संस्था से जुड़ी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

3. कृपया शिकायत के संबंध में आप अपना/संस्था का पक्ष यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करे कि क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं।

4. निर्धारित तिथि तक आपका उत्तर प्राप्त न होने पर शिकायत के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न–एक

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला———(म0प्र0)

कार्यालय जिला पंचायत
जिला———म.प्र.

आवेदक/शिकायतकर्ता – (नाम) ———————
(पता)————————

विरूद्व

अनावेदक– (नाम)——————
(पता) ————————

आदेश
(दिनांक ———)

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदक/शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत की गई है कि————————————
————————————————————
————————————(शिकायत का सारांश लिखा जाए)

2. शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के संबंध में अनावेदक का पक्ष सुना गया। उन्होंने लिखित पक्ष प्रस्तुत किया। उनका कथन था कि
————————————————————
————————(अनावेदक के उत्तर का सारांश लिखा जाए)

3. आवेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने यह पक्ष रखा कि————————————————————
————————(अनावेदक के पक्ष का संक्षिप्त विवरण लिखा जाए)

4. शिकायतकर्ता एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर निकाय की साधारण सभा द्वारा विचार किया गया। विचारोपरांत यह पाया गया कि————————————

————————————————————(निर्णय अंकित करे)

5. इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता, अनावेदक और जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाए।

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला———(म0प्र0

क्रमांक——— स्थान——— दिनांक————

1 शिकायतकर्ता ———————— (नाम एवं पता) को सूचनार्थ।
2 अनावेदक ———————————(नाम एवं पता) को सूचनार्थ।
3 जिला शिक्षा अधिकारी ——————————को सूचनार्थ।